[2019] 10 एस. सी. आर 1121

निटिन बैन्डोपैंट सैलेग्रे

वी.

राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर.

(2019 की सिविल अपील No.5855)

05 अगस्त, 2019

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888-एस. 9 , 33 और 34

आकस्मिक रिक्तियों को भरना-चुनाव के लिए आम चुनाव

बॉम्बे नगर निगम के लिए पार्षद का संचालन किया गया और

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट के लिए एक उम्मीदवार को सफल घोषित किया गया-उक्त सफल उम्मीदवार के खिलाफ इस आधार पर शिकायत दर्ज की गई कि उसने गलत तरीके से पिछड़े वर्ग के नागरिक होने का दावा किया था-जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने उक्त उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया।

निगम द्वारा अयोग्य-अयोग्यता के कारण, वार्ड में एक आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई-राज्य चुनाव आयोग

आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए वार्ड के लिए उपचुनाव को अधिसूचित करते हुए दिनांक 09.05.2019 पर एक अधिसूचना जारी की अधिनियम की धारा 9-निर्धारित करने के निर्देश के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा लिखित याचिकाएं दायर की गई थीं।

दिनांकित 09.05.2019 अधिसूचना को दरकिनार करते हुए-अपीलार्थी ने दावा किया कि चूंकि उसने उक्त वार्ड से दूसरा सबसे अधिक वोट प्राप्त किया था, इसलिए वह एस के अनुसार निर्वाचित घोषित होने का हकदार था। 33 अधिनियम की धारा-इससे पहले, अपीलार्थी ने अपीलार्थी को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने के लिए चुनाव याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की थी-उस रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने लघु कारणों के न्यायालय को चुनाव याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया था-दिनांकित अधिसूचना को दरकिनार करने के निर्देश के लिए रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील पर, अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि चूंकि चुनाव याचिका पर विचार किया जा रहा था, इसलिए राज्य चुनाव आयोग को चुनाव याचिका आयोजित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

पार्षद के चुनाव के लिए उपचुनाव-आयोजितः आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल चुनाव याचिका के लंबित रहने से इसे स्थगित या स्थगित नहीं किया जाना चाहिए-भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले राज्य चुनाव आयोग

एक आकस्मिक रिक्ति यू/एस। 9 वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का विज्ञापन करना पड़ता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू/एस। 34 और सोच-समझकर निर्णय लें और उसके बाद रिक्तियों को भरने के लिए आगे बढ़ें-आकस्मिक रिक्तियों के प्रत्येक मामले में, अलग-अलग परिस्थितियां हो सकती हैं जिन पर राज्य चुनाव आयोग आकस्मिक रिक्तियों को भरने का निर्णय नहीं ले सकता है-तत्काल मामले में, जब एक चुनाव याचिका पहले से ही वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की गई थी चूंकि उसके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने से पहले जिसमें चुनाव याचिका में दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने की प्रार्थना की गई थी, राज्य चुनाव आयोग मामले के उक्त पहलू पर विचार किए बिना नए सिरे से चुनाव का आह्वान नहीं कर सकता है-इसके अलावा, आयोग ने तैयार करने के संबंध में विषय पर अधिसूचना दिनांक 09.05.2019 जारी की थी।

नगर निगम की रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव के लिए मतदाताओं की सूची लेकिन विचाराधीन वार्डों के उपचुनाव के लिए तारीखें तय करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी-इसलिए, राज्य चुनाव आयोग ने कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले एक नया निर्णय लेने का निर्देश दिया।

वार्डों के उपचुनाव के लिए तारीखें तय करने की अधिसूचना-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. मुंबई नगरपालिका की धारा 33 (2)

निगम अधिनियम, 1888 ने सांविधिक योजना को शामिल किया कि यदि लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि जिस व्यक्ति के चुनाव पर आपत्ति है, वह पार्षद होने के लिए अयोग्य है, या यदि वह पाता है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं है, तो वह इसे रद्द कर देगा। दोनों ही मामलों में, वह निर्देश देगा कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की अगली सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है, उसे निर्वाचित माना जाएगा। इस प्रकार, सांविधिक योजना उस व्यक्ति को मान्यता देती है, जिसने दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं, जिसे निर्वाचित माना जाता है।

विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के लिए निगमित। यह आम जानकारी की बात है कि चुनाव आयोजित करना एक बोझिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत समय, श्रमशक्ति की भागीदारी और खर्च शामिल है। अधिनियम, 1888 के तहत नगर निगमों ने

बड़ी संख्या में शक्तियां और अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है और हर पांच साल में नगर निगम के गठन के लिए चुनाव किया जाना है। जिस व्यक्ति ने दूसरी सबसे अधिक संख्या में वोट प्राप्त किए हैं, उसके अधिकार को नए सिरे से चुनाव कराने से रोकने के लिए मान्यता दी गई है।

इस प्रकार, विधायी एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालग्रे v. राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर.

योजना स्वयं सुरक्षित करने वाले व्यक्ति की घोषणा को मान्यता देती है।

निर्वाचित माने जाने वाले दूसरे सबसे अधिक वोट। अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय उक्त उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। धारा 9 के दूसरे भाग में विशेष रूप से धारा 34 में दिए गए तरीके से आकस्मिक रिक्ति को भरने का प्रावधान है, यह प्रश्न कि "क्या कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, जिसे उसके स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है" प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है। उक्त का जवाब देने के लिए

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर प्रासंगिक है जब एक चुनाव याचिका पहले से ही एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई है जो दावा करता है कि एक है उम्मीदवार, जिसे वापस लौटे उम्मीदवार के स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है। जब इसके तहत कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है

धारा 33 या जहां दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को घोषित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती है, उपरोक्त प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है और आकस्मिक रिक्ति को भरने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 9 में अभिव्यक्ति का उपयोग, अर्थात "जितनी जल्दी हो सके", इंगित करता है कि क़ानून राज्य चुनाव आयोग को आकस्मिक रिक्ति के लिए उपचुनाव कराने का विवेकाधिकार देता है। कानून उपचुनाव कराने का आदेश नहीं देता है, यानी आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होते ही आकस्मिक रिक्ति को भरना। आयोग को एक उद्देश्य और उद्देश्य के लिए विवेक दिया गया है। [पैरा 26] [1137-बी-एच; 1138-ए]

2. भरने के संबंध में निर्णय लेने के कारकों में से एक

आकस्मिक रिक्ति की स्थिति यह है कि क्या कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, जिसे लौटे उम्मीदवार के स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है। चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ने से पहले राज्य चुनाव आयोग को इन सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। लेकिन यह न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि सांविधिक योजना यह संकेत नहीं देती है कि वार्ड के लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाते हुए केवल एक चुनाव याचिका दायर करने और चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में घोषणा की मांग करने से राज्य चुनाव आयोग के आकस्मिक रिक्ति को भरने के अधिकार पर रोक लग जाएगी। राज्य चुनाव आयोग सांविधिक रूप से यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, जिसे [2019] 10 एस. सी. आर. में निर्वाचित माना जा सकता है।

वापस लौटे उम्मीदवार का स्थान, उसके बाद ही यह नए सिरे से चुनाव कराने के लिए बाध्य है। यह नियत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को अभिनिर्धारित करता है।

सभी प्रासंगिक और आवश्यक कारकों पर विचार करते हुए मन का अनुप्रयोग, अप्रासंगिक को छोड़कर। [पैरा 27] [1138-बी-डी]

3. इसे ध्यान में रखते हुए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में अधिनियम, 1888 के तहत वैधानिक योजना के संबंध में, यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता हैः (i) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल चुनाव याचिका के लंबित होने पर इसे स्थगित या स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य चुनाव

एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले आयोग

धारा 9 को धारा 34 के तहत वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का विज्ञापन करना है और उचित दिमाग से एक सचेत निर्णय लेना है और उसके बाद रिक्तियों को भरने के लिए आगे बढ़ना है। आकस्मिक रिक्ति के प्रत्येक मामले में, यह बताए बिना अलग-अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि राज्य चुनाव आयोग आकस्मिक रिक्ति को भरने का निर्णय नहीं ले सकता है; (ii) लौटे उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र के अमान्य होने के कारण होने वाली आकस्मिक रिक्ति के लिए -

अधिनियम, 1888 की धारा 34 में उपबंधित तरीके से भरा गया; (iii) जब एक चुनाव याचिका पहले ही वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की जा चुकी है, क्योंकि उसके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने से पहले जिसमें चुनाव याचिका में दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने की प्रार्थना भी की जाती है, तो राज्य चुनाव आयोग मामले के उपरोक्त पहलू पर विचार किए बिना नए सिरे से चुनाव का आह्वान नहीं कर सकता है। [पैरा 36] [1143-सी-जी] 4. यद्यपि आयोग ने नगर निगम की रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में दिनांक 09.05.2019 अधिसूचना जारी की है, लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन विचाराधीन वार्डों के उपचुनाव के लिए तारीख निर्धारित की गई है, इस न्यायालय का विचार है कि राज्य चुनाव आयोग कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले एक नया निर्णय ले सकता है।

विचाराधीन वार्डों के उपचुनाव के लिए तारीखें तय करने की अधिसूचना। [पैरा 38] [1140-बी-सी]

ज्योति बसु और अन्य बनाम। देवी घोषाल और अन्य

(1982) 1 एस. सी. सी. 691 [1982] 3 एस. सी. आर. 318 पर निर्भर था।

डी. संजीवया बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, आंध्र

प्रदेश और अन्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1211 [1967] एस. सी. आर. निटिन बंदोपंत सालाग्रे बनाम।

राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर.

489 ; भारत का चुनाव आयोग v. तेलंगाना राष्ट्र

समिति और एक अन्य (2011) 1 एस. सी. सी. 370: [2010] 14 एससीआर

भारत और अन्य (2018) 7 एस. सी. सी. 550: [2018] 4 एससीआर 397 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1967] एससीआर 489

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2010] 14 एससीआर 468

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2018] 4 एससीआर 397

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[1982] 3 एससीआर 318

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5855

2019 का

उच्च न्यायालय के 10.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट याचिका लॉजिंग संख्या 1577 में बॉम्बे में न्यायपालिका

के साथ

सिविल अपील सं। 5857 , 5856 और 2019 का 5858।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विनय नवारे, चिंतामणि

भांगोजी, सुधांशु एस. चौधरी, सुरभी गुलेरिया, योगेश कोल्टे, महेश पी. शिंदे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आत्माराम एन. नाडकर्णी, ए. एस. जी., संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मनोज

शर्मा, आलोक सिंह, प्रमोद कथाने, दीपक शुक्ला, गौरव

भारद्वाज, कपिल कौशिक, प्रमोद दयाल, ब्रज के. मिश्रा, विजय कुमार, ध्वल एस. देशपांडे, सुश्री भारती त्यागी, आशीष वाड, श्रीमती जयश्री वाड, सिद्धार्थ महाजन, सुश्री सुकृति जग्गी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

1. ये अपीलें आम फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं।

बॉम्बे उच्च न्यायालय दिनांक 10.06.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर अलग-अलग रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

2. इन सभी अपीलों में उठाए गए कानून का सवाल आम है,

सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए, यह [2019] 10 एस. सी. आर. के लिए पर्याप्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2019 की सिविल अपील संख्या 5855 में तथ्यों और अभिवचनों का उल्लेख करें-नितिन बंदोपंत सलग्रे बनाम। राज्य चुनाव आयोग और एएनआर।

3. बॉम्बे के लिए पार्षद के चुनाव के लिए आम चुनाव

नगर निगम का आयोजन फरवरी, 2017 में किया गया था। श्रीमती केसरबेन मुरजी पटेल को वार्ड No.76 से पार्षद के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया था। वार्ड No.76 पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित था। श्रीमती केसरबेन मुरजी पटेल ने गलत तरीके से पिछड़े वर्ग के नागरिक होने का दावा किया था। अपीलार्थी ने जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की और श्रीमती केसरबेन मुरजी पटेल के चुनाव को चुनौती देते हुए मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 (इसके बाद "अधिनियम, 1888" के रूप में संदर्भित) की धारा 33 के तहत लघु कारण न्यायालय, मुंबई के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 2017 की चुनाव याचिका दायर की। जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा श्रीमती केसरबेन मुरजी पटेल के जाति प्रमाणपत्र को अमान्य कर दिया। श्रीमती केसरबेन मुरजी पटेल द्वारा 2018 की रिट याचिका संख्या 181 दायर की गई थी जिसमें निगम को उन्हें अयोग्य नहीं ठहराने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 2018 की रिट याचिका संख्या 181 को 02.04.2019 पर खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ 2019 की विशेष अनुमति याचिका (C) No.8946 दायर की गई थी, जिसे भी 24.04.2019 पर खारिज कर दिया गया था। श्रीमती केसरबेन

चुनाव आयोग, महाराष्ट्र ने अधिनियम, 1988 की धारा 9 के तहत उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निगम के वार्ड No.76 के लिए उपचुनाव को अधिसूचित करते हुए दिनांक 09.05.2019 पर एक अधिसूचना जारी की। द राइट 2019 की याचिका (सी) No.1577 अपीलार्थी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में निम्नलिखित राहतों के लिए अनुरोध करते हुए दायर की गई है:

" (क) कि यह माननीय न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 1 राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी 9 मई, 2019 की अधिसूचना को रद्द करने और रद्द करने के लिए प्रसन्न हो, जिससे उत्तरदाता संख्या 2 निगम के वार्ड No.76 के लिए उप-चुनावों को अधिसूचित किया जा सके।

एमएमसी अधिनियम, 1888 की धारा 9।

(ख) यह माननीय न्यायालय मुंबई के विद्वान लघु कारण न्यायालय को एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालाग्रे बनाम में कार्यवाही में तेजी लाने का निर्देश देता है।

राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2017 की नगरपालिका चुनाव याचिका No.52, ऐसी समय सीमा के भीतर जो यह माननीय न्यायालय कर सकता है।

उचित और उचित समझते हैं।

((ग)

इस याचिका की सुनवाई और अंतिम निपटान के लिए,

उत्तरदाता संख्या 1 राज्य चुनाव आयोग द्वारा 9 मई, 2019 को जारी अधिसूचना, जिसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 2 निगम के वार्ड No.76 के लिए उपचुनावों को अधिसूचित किया गया है, कृपया रुकने का आदेश दें।

(घ) विज्ञापन-प्रार्थना खंड (ग) के संदर्भ में अंतरिम/अंतरिम राहत

कृपापूर्वक प्रदान कीजिए।

(ई) इस तरह के अन्य और आगे राहत के रूप में इस माननीय न्यायालय कर सकते हैं

उचित और उचित समझा जाए "।

4. 16.05.2019 पर पारित एक अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी, हालांकि, वार्डों के चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना 12.06.2019 तक प्रकाशित नहीं की जानी थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2019 की रिट याचिका (एल) संख्या 1288 अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 2017 की चुनाव याचिका No.52 पर निर्णय लेने के लिए निर्देश मांगा गया था।

राज्य चुनाव आयोग और अन्य। ; 2019 की रिट याचिका No.1578-गीता किरण भंडारी बनाम। राज्य चुनाव आयोग और 2019 की रिट याचिका संख्या 1462-एकनाथ (शंकर) ज्ञानदेव हुंडर बनाम। राज्य निर्वाचन आयोग। सभी रिट याचिकाओं में, दावा की गई राहतों में से एक राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करना था, जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयोग, महाराष्ट्र ने नगर निगम में खाली पदों को भरने के लिए उपचुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। जिन वार्डों से अपीलकर्ताओं ने पार्षद का चुनाव लड़ा था, उन्हें अधिसूचना में शामिल किया गया था। उच्च न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं को एक साथ सुना। उच्च न्यायालय ने पक्षों के हलफनामे दाखिल करने से भी इंकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.06.2019 के विवादित फैसले द्वारा सभी चार रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन फैसले से व्यथित, ये अपीलें दाखिल किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नगर निगम के साथ-साथ विद्वान वकील के लिए उपस्थित होना हस्तक्षेपकर्ता।

6. के निर्णय को चुनौती देने वाले अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील

उच्च न्यायालय का तर्क है कि अपीलकर्ता पार्षद के चुनाव में दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार हैं और लौटने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अपीलार्थी अधिनियम, 1888 की धारा 33 के अनुसार निर्वाचित घोषित होने के हकदार हैं। अपीलार्थियों की चुनाव याचिका जहां अपीलार्थियों को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की प्रार्थना विचाराधीन है, राज्य चुनाव आयोग के पास पार्षद के चुनाव के लिए उपचुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क़ानून में विचार किया गया है कि दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव को अलग करने के मामले में पार्षद के रूप में निर्वाचित माना जाएगा। जब तक अपीलार्थी की चुनाव याचिका लंबित है, तब तक उपचुनाव आयोजित करना कानून में अनुज्ञेय नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने डी. संजीवय्या बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। चुनाव.

न्यायाधिकरण, आंध्र प्रदेश और अन्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1211; भारत का चुनाव आयोग बनाम तेलंगाना राष्ट्र समिति और दूसरा, (2011) 1 एस. सी. सी. 370 और प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम चुनाव। भारत और अन्य आयोग, (2018) 7 एस. सी. सी. 550। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उपचुनाव कराने की अनुमति दी जाती है और किसी अन्य व्यक्ति को उक्त चुनाव में निर्वाचित घोषित किया जाता है और चुनाव याचिका में यदि -

अपीलार्थी के पक्ष में यह घोषणा की जाती है कि वह नगर निगम के वार्ड से निर्वाचित समझा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले दो उम्मीदवार होंगे, जो वैधानिक योजना के अनुसार अनुमेय नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि डिवीजन बेंच ने 2007 की रिट याचिका No.6846-जगदीश कुट्टी अमीन बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम और 2 अन्य में दिनांकित 17.09.2007 के पहले के डिवीजन बेंच के फैसले के दृष्टिकोण का पालन नहीं किया है। और एक अलग दृष्टिकोण रखने के लिए, मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए था।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील की दलीलों का खंडन करने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि अपीलार्थी द्वारा चुनाव याचिका दायर करने से राज्य चुनाव आयोग द्वारा आकस्मिक रिक्ति को भरने को स्थगित करने का प्रभाव नहीं पड़ता है।

यह प्रस्तुत किया गया है एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालाग्रे v. राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

पार्षद का पांच साल का कार्यकाल होने और स्वीकृत रूप से लौटे उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किए जाने के कारण वार्ड का प्रतिनिधित्व नहीं रह सकता है। अपीलार्थी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर नगर निगम के कार्यकाल के दौरान निर्णय लिया जा सकता है या नहीं भी। यदि क़ानून का इरादा था कि जब तक निर्वाचित उम्मीदवारों के रूप में घोषणा का दावा करने वाले याचिकाकर्ताओं के दावे के संबंध में चुनाव याचिका पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक उपचुनाव नहीं होना चाहिए था, तो वैधानिक योजना में कुछ विशिष्ट प्रावधान होने चाहिए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1888 की धारा 9 के अर्थ के भीतर उत्पन्न आकस्मिक रिक्ति को भरना अधिनियम, 1888 की धारा 33 के तहत दायर किसी भी चुनाव याचिका पर निर्भर नहीं है। धारा 33 (2) द्वारा विचार की गई कार्रवाई केवल चुनाव याचिका के लिए प्रासंगिक है, जो धारा 33 के तहत दायर की गई है, जिसका आकस्मिक रिक्ति को भरने से रोकने या रोकने का कोई प्रभाव नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की योजना अधिनियम, 1888 की योजना से पूरी तरह से अलग है, इसलिए अपीलार्थी के वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णय प्रासंगिक नहीं हैं। 8. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

9. वर्तमान एक ऐसा मामला है जहां वापस लौटे उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र के अमान्य होने के कारण अयोग्य ठहराया गया है।

लौटने वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता, जो शुरू में नगर निगम के संबंधित वार्ड से चुने गए थे, ने पार्षद के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को जन्म देते हुए अंतिमता प्राप्त कर ली है। धारा 9

अधिनियम, 1888 आकस्मिक रिक्ति से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

" 9.आकस्मिक रिक्तियों को कैसे भरा जाए।

पार्षद के रूप में निर्वाचित व्यक्ति द्वारा पद की स्वीकृति न होने या मृत्यु होने की स्थिति में,

यदि कोई पार्षद अपने पद की अवधि के दौरान कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे एक आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा।

पद और ऐसी रिक्ति को, जितनी जल्दी हो सके, किसी ऐसे व्यक्ति के चुनाव द्वारा भरा जाएगा जो पद धारण करेगा। जब
तक वह पार्षद जिसके स्थान पर वह चुना जाता है, वह इसे रखने का हकदार होता यदि रिक्ति नहीं हुई होती।

निर्वाचित पार्षद के पद में आकस्मिक रिक्ति होगी

धारा 34 में दिए गए तरीके से भरा जाएः

बशर्ते कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए कोई चुनाव नहीं किया जाएगा यदि यह उस तारीख से पहले छह महीने के भीतर होता है जिस पर पार्षद का कार्यकाल धारा 6 ए के तहत समाप्त हो जाता है।

10. अधिनियम की धारा 33 लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुनी जाने वाली चुनाव याचिकाओं से संबंधित है, जो निम्न हैः

" 33.चुनाव याचिकाओं की सुनवाई और निपटान प्रमुख द्वारा किया जाएगा लघु कारण न्यायालय के न्यायाधीश। (1) यदि पार्षद होने के लिए निर्वाचित घोषित किसी व्यक्ति की योग्यता विवादित है, या यदि किसी चुनाव की वैधता पर सवाल उठाया जाता है, तो क्या राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा अनुचित अस्वीकृति के कारण नामनिर्देशन या अनुचित स्वीकार या मतदान से इनकार, या किसी अन्य कारण से या यदि किसी व्यक्ति के चुनाव की वैधता पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि उसने धारा 28 एफ के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट प्रथा की है, तो नगरपालिका चुनाव सूची में नामांकित कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय, उस तारीख से दस दिनों के भीतर, जिस दिन धारा 28 के खंड (के) के तहत निर्धारित सूची बिक्री या निरीक्षण के लिए उपलब्ध थी, लघु कारण न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लागू हो सकता है। यदि आवेदन इस घोषणा के लिए है कि किसी विशेष उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा, तो आवेदक अपने आवेदन में उन सभी उम्मीदवारों को पक्षकार बनाएगा, जिन्हें निर्वाचित घोषित नहीं किया गया है, धारा 32 के तहत राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, उक्त उम्मीदवार की तुलना में अधिक संख्या में वोट हैं, और उनके खिलाफ उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे उक्त उम्मीदवार के खिलाफ।

(1 ए) आवेदक, जब भी मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसा आवश्यक होगा, अदालत में रुपये की राशि जमा करेगा। 500 नकद या सरकार में किसी भी लागत के लिए प्रतिभूति के रूप में दिन की बाजार दर पर समतुल्य मूल्य की प्रतिभूतियाँ जो आवेदक को भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है उक्त आवेदन के अन्य पक्षों को। (2) यदि उक्त मुख्य न्यायाधीश, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझता है, यह पाता है कि चुनाव एक वैध चुनाव था और जिस व्यक्ति के चुनाव पर आपत्ति है, वह अयोग्य नहीं है, तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगा। यदि वह पाता है कि जिस व्यक्ति के चुनाव पर आपत्ति है, वह पार्षद होने के लिए अयोग्य है, तो वह ऐसे व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करेगा। यदि वह पाता है कि चुनाव एक वैध चुनाव नहीं है, तो वह इसे एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालग्रे v निर्धारित करेगा।

राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

एक तरफ। किसी भी मामले में वह निर्देश देगा कि उम्मीदवार, यदि कोई हो, जिनके पक्ष में वैध मतों की अगली सबसे बड़ी संख्या उक्त व्यक्ति के बाद दर्ज की जाती है और जिनके चुनाव के खिलाफ आपत्ति का कोई कारण नहीं पाया जाता है, उन्हें निर्वाचित माना जाएगा।

(2 ए) जब किसी व्यक्ति के चुनाव पर इस आधार पर सवाल उठाया जाता है कि उसने धारा 28 एफ के अर्थ के भीतर एक भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया है, तो मुख्य न्यायाधीश, यदि वह संतुष्ट है कि एक उम्मीदवार इस तरह की भ्रष्ट प्रथा को अंजाम दिया है, एक उम्मीदवार घोषित करें

उस चुनाव और ऐसे दोनों उद्देश्यों के लिए अयोग्य ठहराया गया

आम चुनाव में चुने गए पार्षदों के पद की वर्तमान अवधि के दौरान नया चुनाव किया जा सकता है और ऐसे उम्मीदवार के चुनाव को अलग रखा जाएगा यदि वह चुना गया है।

(3) उक्त मुख्य न्यायाधीश का आदेश निर्णायक होगा।

(4)

(5) पूर्वगामी प्रावधानों के अनुसार प्रश्न में नहीं बुलाए गए प्रत्येक चुनाव को सभी उद्देश्यों के लिए माना जाएगा -

अच्छा और वैध चुनाव "।

11. धारा 34 में एक शीर्षक है "प्रक्रिया यदि चुनाव विफल हो जाता है या है

आइडिया "। धारा 34 इस प्रकार हैः

" 34.यदि चुनाव विफल हो जाता है या रद्द कर दिया जाता है तो प्रक्रिया।

(1) यदि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आयोजित किसी आम चुनाव या चुनाव में कोई पार्षद नहीं चुना जाता है, या किसी पार्षद का चुनाव धारा 33 की उप-धारा (2) के तहत अलग रखा जाता है और कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है जिसे उक्त उप-धारा के तहत उसके स्थान पर निर्वाचित माना जा सके, तो राज्य चुनाव आयुक्त नए सिरे से चुनाव कराने और नए सिरे से चुनाव कराने के लिए एक और दिन निर्धारित करेगा।

तदनुसार आयोजित किया जाएगा। (2) इस धारा के तहत निर्वाचित पार्षद को धारा 9 के तहत आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया माना जाएगा।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि वापस लौटे उम्मीदवारों के चुनाव को चुनौती देने वाले चुनाव में जिला जाति प्रमाण पत्र जांच द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से पहले मुख्य न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थीऔर आगे चुनाव याचिका में, प्रार्थना की गई है [2019] 10 एस. सी. आर.

अपीलार्थी द्वारा कि उसे भी निर्वाचित घोषित किया जाए। चुनाव याचिका की प्रार्थना (ग) इस प्रकार हैः

" ग) याचिकाकर्ता को वार्ड नं. 76 उत्तरदाता की सं। 1 निगम ने अगला सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के बाद वैध मतों की संख्या और जिनके खिलाफ

चुनाव, आपत्ति का कोई कारण नहीं मिला है। "

13. राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

नगर निगम में रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव। चाहे चुनाव याचिका दायर करना हो या चुनाव याचिका की विचाराधीनता, जहां एक प्रार्थना यह है कि याचिकाकर्ता को वार्ड से निर्वाचित माना जाए

सवाल यह है कि उपचुनावों को स्थगित करने का प्रभाव पड़ता है और राज्य चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने के लिए आगे बढ़ने से मना किया जाता है

जिन प्रश्नों का उत्तर इन अपीलों में दिए जाने की आवश्यकता है।

14. यह न्यायालय ज्योति बसु और अन्य बनाम देवी घोषाल और अन्य, (1982) 1 एस. सी. सी. 691: ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 983 ने निर्धारित किया है कि चुनाव का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और चुनाव पर विवाद करने का अधिकार वैधानिक अधिकार हैं। फैसले के पैराग्राफ नंबर 8 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई हैः

" 8. चुनने का अधिकार, हालांकि यह लोकतंत्र के लिए मौलिक है,

असंगत रूप से पर्याप्त, न तो एक मौलिक अधिकार और न ही एक सामान्य अधिकार

कानून का अधिकार। यह शुद्ध और सरल, एक वैधानिक अधिकार है। निर्वाचित होने का अधिकार भी है। चुनाव पर विवाद करने का भी यही अधिकार है। कानून के बाहर, चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं है, निर्वाचित होने का कोई अधिकार नहीं है और चुनाव पर विवाद करने का कोई अधिकार नहीं है। सांविधिक सृजन वे हैं, और इसलिए, सांविधिक सीमा के अधीन हैं। चुनाव याचिका सामान्य कानून पर कार्रवाई नहीं है, न ही निष्पक्षता में। यह एक सांविधिक कार्यवाही है जिसमें न तो सामान्य कानून और न ही समता के सिद्धांत लागू होते हैं, बल्कि केवल वे नियम लागू होते हैं जिन्हें क़ानून बनाता है और लागू करता है। यह है खास अधिकारिता, और एक विशेष अधिकारिता का प्रयोग हमेशा इसे बनाने वाले क़ानून के अनुसार किया जाना चाहिए। सामान्य कानून और समानता से परिचित अवधारणाओं को चुनाव कानून के लिए अजनबी रहना चाहिए।

जब तक कि वैधानिक रूप से सन्निहित न हो.. ..... '

15. इस प्रकार, इन अपीलों में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों के जवाब को वैधानिक योजना अधिनियम, 1888 से समझा जाना चाहिए। " एक पार्षद की अयोग्यता धारा 9 में उल्लिखित परिस्थितियों में से एक है, जो कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति का कारण बनती है।

खंड एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालाग्रे v. राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

9 अधिनियम में आकस्मिक रिक्ति को भरने पर भी विचार किया गया है। इसके अलावा रिक्ति को भरने के संबंध में, निम्नलिखित शब्दों द्वारा धारा 9 के तहत एक सवार को शामिल किया गया हैः

" जितनी जल्दी हो सके "

16. उपरोक्त अभिव्यक्ति का उद्देश्य और अर्थ क्या है, इसकी जांच की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 9 दो भागों में है, दूसरा भाग 1935 के बॉम्बे अधिनियम द्वारा धारा 9 में डाला गया था। इसका पहला भाग

धारा 9 में प्रावधान है कि एक आकस्मिक रिक्ति को किसी व्यक्ति के चुनाव द्वारा जितनी जल्दी हो सके भरा जाएगा। दूसरे भाग को जोड़कर, यह प्रावधान किया गया है कि आकस्मिक रिक्ति को धारा 34 में दिए गए तरीके से भरा जाएगा। हमें यह पता लगाने के लिए धारा 34 पर गौर करना होगा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए दिए गए तरीके के बारे में बताएँ। के रूप में

ऊपर उल्लिखित, धारा 34 (1) में प्रावधान है कि यदि किसी आम चुनाव या आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आयोजित चुनाव में कोई पार्षद नहीं चुना जाता है, या किसी पार्षद का चुनाव धारा 33 की उप-धारा (2) के तहत अलग रखा जाता है और कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है जिसे उसके स्थान पर निर्वाचित माना जा सके, तो राज्य चुनाव आयुक्त नए सिरे से चुनाव कराने के लिए एक और दिन निर्धारित करेगा। धारा 34 की उप-धारा (1) में नए सिरे से चुनाव कराने के लिए एक और दिन नियुक्त करने के लिए शामिल शर्तों में से एक यह है कि "कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है जिसे उसके स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है", इस प्रकार, एक मामले में, एक उम्मीदवार है जिसे वापस आए उम्मीदवार के स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है, चुनाव की तारीख नियुक्त नहीं की जानी है।

17. प्रस्तुतिकरण पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या धारा 34 (1) को धारा के संबंध में इसके संचालन के लिए अपने आप में सीमित करना है। 33 (2) , अर्थात्, जब किसी लौटे हुए उम्मीदवार की चुनाव याचिका को दरकिनार कर दिया जाता है या धारा 34 (1) में निहित संचालन की शर्तें -

धारा 9 के तहत आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में आकर्षित। यदि धारा 9 का दूसरा भाग, अर्थात "निर्वाचित पार्षद के पद में आकस्मिक रिक्ति को धारा 34 में दिए गए तरीके से भरा जाएगा", धारा 9 में नहीं था, तो इसे सीमित करने में कोई कठिनाई नहीं थी।

धारा 33 (2) के तहत केवल चुनाव याचिका के लिए धारा 34 का संचालन।

18. वाक्यांश "एक निर्वाचित पार्षद के पद में आकस्मिक रिक्ति को धारा 34 में प्रदान किए गए तरीके से भरा जाएगा"। इसे 1935 के बॉम्बे अधिनियम XXVIII द्वारा अधिनियम, 1888 में जोड़ा गया था। धारा 34, जो वर्तमान में मौजूद है, को भी 1935 के अधिनियम XXVIII द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

एस. सी. आर. की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 और 34 पर संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों के कथन में ठीक है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण जो विधेयक सं. बॉम्बे सरकार में 1935 का XXXVI दिनांक 17.09.1935 इस प्रकार हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण।

सिटी ऑफ बॉम्बे म्यूनिसिपल एक्ट (1888 का III) की धारा 34 में प्रावधान है कि यदि आम चुनाव में कोई पार्षद नहीं चुना जाता है, तो सेवानिवृत्त हो रहे पार्षद पार्षद या पार्षद, यदि सेवा करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें फिर से निर्वाचित माना जाएगा; कि यदि सेवानिवृत्त पार्षद सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं, या कुछ सेवानिवृत्त पार्षद सेवा करने के इच्छुक हैं और कुछ नहीं हैं, और कुछ अन्य आकस्मिकताओं में भी निगम रिक्तियों या रिक्तियों को फिर से भरेगा।

उस ओर से नगर आयुक्त द्वारा दी गई रिपोर्ट के पंद्रह दिनों के भीतर विकल्प; और यह कि निगम द्वारा ऐसी कार्रवाई में विफल रहने पर रिक्तियों या रिक्तियों को भरा जाना है

चुनाव। ये प्रावधान उस समय से हैं जब स्थानीय स्व

कहा जा सकता है कि सरकार अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और संभवतः यह आशंका जताई गई थी कि पर्याप्त संख्या में पार्षद हैं रिक्तियों को भरने के लिए आगे नहीं आना पड़ सकता है। प्रावधानों का उद्देश्य परेशानी से बचना भी प्रतीत होता है और

आम चुनाव के बाद नए सिरे से चुनाव कराने का खर्च

निष्फल साबित हुआ था। तब से परिस्थितियाँ बदल गई हैं और वर्तमान में स्थानीय स्वशासन में गहरी रुचि के कारण, चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की कोई संभावना नहीं है। यह भी।

वांछनीय लगता है कि जहां एक चुनाव अलग रखा गया है

और धारा 33 में अनुध्यात अन्य आकस्मिकताओं में और

34 मतदाताओं को एक अवसर दिया जाना चाहिए

अपनी पसंद के अन्य प्रतिनिधियों को लौटाना। द. बिल का उद्देश्य इस उद्देश्य को पूरा करना है।

16 सितंबर, 1935

(हस्ताक्षरित) एस. एन. भुट्टो।

महामहिम राज्यपाल के आदेश से,

के. सी. सेन, "एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालाग्रे बनाम। राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

19. हम वर्ष 1935 में किए गए पूर्व संशोधन अधिनियम, 1888 की सांविधिक योजना को भी देख सकते हैं। धारा 9, जो 1935 से पहले मौजूद थी, निम्नलिखित प्रभाव से थीः

" 9. आकस्मिक रिक्तियों को कैसे भरा जाए - निर्वाचित या नियुक्त व्यक्ति द्वारा पार्षद के रूप में पद स्वीकार न करने या किसी पार्षद की मृत्यु, त्यागपत्र या अयोग्यता, या वह सेवानिवृत्ति के लिए उस दिन से पहले कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, निम्नलिखित माना जाएगा -

कार्यालय में एक आकस्मिक रिक्ति होगी और ऐसी रिक्ति को चुनाव द्वारा, जितनी जल्दी हो सके, भरा जाएगा या

यथास्थिति, किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, जो केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह पार्षद जिसके स्थान पर वह निर्वाचित या नियुक्त होता है, उसे पद धारण करने का अधिकार होता, यदि - रिक्तता नहीं हुई थी।

20. धारा 34 जैसा कि यह मूल रूप से अधिनियम, 1888 में मौजूद थी, विंग प्रभाव के लिए थीः

1. यदि किसी भी कारण से किसी भी आम चुनाव में कोई पार्षद नहीं चुना जाता है, तो इसके अनुसार होने वाले पहले आम चुनावों में से एक नहीं है। इस अधिनियम के साथ, सेवानिवृत्त पार्षद या पार्षद, यदि चाहें,

सेवा करना, फिर से निर्वाचित माना जाना।

2. यदि, ऐसे किसी भी मामले में, सेवानिवृत्त होने वाला पार्षद सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, या कुछ सेवानिवृत्त होने वाले पार्षद सेवा करने के लिए तैयार हैं और कुछ नहीं हैं, या

यदि, इस अधिनियम के अनुसार आयोजित पहले आम चुनाव के मामले में, या एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव के मामले में, कोई पार्षद नहीं है

यदि, किसी भी चुनाव के मामले में, पार्षदों की अपर्याप्त संख्या चुने जाते हैं,

आयुक्त बिना किसी देरी के निगम को सूचित करेगा

परिस्थितियों और उस पर निगम, जहां तक उसका गठन किया गया है, रिक्त स्थान या प्रत्येक रिक्त स्थान को भरने के लिए एक विधिवत योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, और यदि निगम ऐसी जानकारी प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर 10 एस. सी. आर. की नियुक्ति करने में विफल हो जाता है।

उपरोक्त व्यक्ति, आयुक्त एक और दिन नियुक्त करेगा।

नए सिरे से चुनाव कराने के लिए।

3. इस धारा के तहत आयोजित एक नया चुनाव सभी मामलों में उन्हीं प्रावधानों के अधीन आयोजित किया जाएगा जैसे कि यह एक को भरने के लिए चुनाव था

आकस्मिक रिक्ति "।

21. अधिनियम, 1888 की योजना, जैसा कि यह मूल रूप से सेवानिवृत्त होने वाले पार्षदों के लिए प्रदान की गई थी, जो सेवा करने के इच्छुक हैं।

निर्वाचित, यदि किसी भी आम चुनाव में कोई पार्षद नहीं चुना जाता है।

धारा 33 और 34 में विचार किया गया है। 23. धारा 34 में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 34 की उप-धारा (1) में नए सिरे से चुनाव कराने की एक और तारीख निर्धारित करने के लिए आकस्मिकताओं में से एक का प्रावधान किया गया है, जब कोई अन्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है जिसे निर्वाचित माना जा सकता है। इस प्रकार, जब कोई ऐसा उम्मीदवार उपलब्ध हो जिसे निर्वाचित माना जा सके, तो तुरंत नया चुनाव शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

24. 1935 के संशोधन द्वारा धारा 9 में दूसरे भाग को जोड़ा गया कि "एक निर्वाचित पार्षद के पद में आकस्मिक रिक्ति होगी धारा 34 में दिए गए तरीके से भरे जाने का अर्थ दिया जाना चाहिए। धारा 9 और 34 को अर्थ और उद्देश्य का पता लगाने और वैधानिक योजना को सुसंगत बनाने के लिए दोनों प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक साथ पढ़ना होगा। यह सच है कि धारा 34 धारा 33 की उप-धारा (2) के तहत किसी भी या सभी पार्षदों के चुनाव को अलग रखे जाने पर नए सिरे से चुनाव कराने के लिए आकस्मिकताओं में से एक पर विचार करती है।

25. जब एक की अयोग्यता के कारण एक आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होती है

लौटाया गया उम्मीदवार, क्या वह धारा 34 (1) के दायरे में नहीं आता है? हमारे सामने जिन मामलों में, लौटे उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करके अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने का परिणाम उनके चुनाव को रद्द करने के समान है। जब हम धारा 9 और धारा 34 को पढ़ते हैं, तो नीति बंदोपंत सालाग्रे v.

आपत्ति किए जाने पर पार्षद होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, या यदि वह पाता है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं है, तो वह इसे अलग कर देगा। दोनों ही मामलों में, वह निर्देश देगा कि जिस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की अगली सबसे बड़ी संख्या दर्ज की गई है, उसे निर्वाचित माना जाएगा। इस प्रकार, सांविधिक योजना उस व्यक्ति को मान्यता देती है, जिसने दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं, जिसे निर्वाचित माना जाता है, जो प्रावधान विशिष्ट उद्देश्य और उद्देश्य के लिए शामिल किया गया है। यह आम जानकारी की बात है कि चुनाव आयोजित करना एक बोझिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत समय, श्रमशक्ति की भागीदारी और खर्च शामिल है। अधिनियम, 1888 के तहत नगर निगमों को सौंपा गया है बड़ी संख्या में शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र और हर पाँच साल में नगर निगम के गठन के लिए चुनाव किया जाना है। जिस व्यक्ति ने दूसरी सबसे अधिक संख्या में वोट प्राप्त किए हैं, उसके अधिकार को नए सिरे से चुनाव कराने से रोकने के लिए मान्यता दी गई है। इस प्रकार, विधायी योजना स्वयं दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति की घोषणा को मान्यता देती है जिसे निर्वाचित माना जाता है। उक्त उद्देश्य और उद्देश्य है

अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करते समय प्रभावी किया जाना। जैसा कि ऊपर देखा गया है, जब धारा 9 के दूसरे भाग में धारा 34 में दिए गए तरीके से आकस्मिक रिक्ति को भरने का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, तो यह प्रश्न कि "क्या कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, जिसे उसके स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है" प्रासंगिक और आवश्यक हो जाता है। उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग को अपना दिमाग लगाना होगा और विचाराधीन वार्ड से संबंधित सभी आवश्यक तथ्यों पर गौर करना होगा। यह ध्यान रखना और भी प्रासंगिक है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर खोजने की आवश्यकता तब प्रासंगिक है जब एक व्यक्ति द्वारा पहले से ही एक चुनाव याचिका दायर की गई है जिसमें दावा किया गया है कि एक उम्मीदवार है, जिसे लौटे उम्मीदवार के स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है। जब धारा 33 के तहत कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है या जहां दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को घोषित करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती है, तो उपरोक्त प्रश्न अप्रासंगिक हो जाता है और आकस्मिक रिक्ति को भरने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 9 में अभिव्यक्ति का उपयोग, यानी "जितनी जल्दी हो सके", इंगित करता है कि क़ानून राज्य चुनाव आयोग को आकस्मिक रिक्ति के लिए उपचुनाव कराने का विवेकाधिकार देता है।

उपचुनाव कराने का आदेश नहीं देता है, यानी आकस्मिक रिक्ति को भरना जैसे ही आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न होती है। आयोग को एक उद्देश्य और उद्देश्य के लिए विवेक दिया गया है।

27. आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में निर्णय लेने में एक कारक यह है कि क्या कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, जिसे लौटे उम्मीदवार के स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है। ये सभी पहलू चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ने से पहले राज्य चुनाव आयोग द्वारा देखा और विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हम यह स्पष्ट करते हैं कि सांविधिक योजना यह संकेत नहीं देती है कि वार्ड के लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाते हुए केवल एक चुनाव याचिका दायर करने और चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में घोषणा की मांग करने से वास्तव में एक

आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आगे बढ़ने के लिए राज्य चुनाव आयोग के अधिकार पर प्रतिबंध। राज्य चुनाव आयोग सांविधिक रूप से यह पता लगाने के लिए बाध्य है कि क्या कोई अन्य उम्मीदवार नहीं है, जिसे लौटे उम्मीदवार के स्थान पर निर्वाचित माना जा सकता है, उसके बाद ही वह नए सिरे से चुनाव कराने के लिए बाध्य है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रतिपादन करता है। सभी प्रासंगिक और आवश्यक कारकों पर विचार करते हुए मन के उचित अनुप्रयोग द्वारा, अप्रासंगिक से दूर रहना।

28. अब, हम इस न्यायालय के निर्णयों पर आते हैं, जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के संदर्भ में दिए गए अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है। धारा 150

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राज्य विधानसभाओं में आकस्मिक रिक्तियों से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

" 150. राज्य विधानमंडल में आकस्मिक रिक्तियां

सभाएँ। (1) जब किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की सीट खाली हो जाती है या घोषित की जाती है

निर्वाचन आयोग, उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, रिक्त होने या विधान सभा के लिए उसके चुनाव को अमान्य घोषित करने का आह्वान करेगा।

संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किसी व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के उद्देश्य से चुनता है जो ऐसी तारीख से पहले हो सकती है

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट, और इस अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और आदेश, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के चुनाव के संबंध में, जहां तक हो सके, लागू होंगे। (2) यदि इस प्रकार रिक्तता अनुसूचित जातियों के लिए या किसी के लिए ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीट में रिक्तता है।

अनुसूचित जनजाति, उप-धारा (1) के तहत जारी अधिसूचना

निटिन बैन्डोपैंट सालाग्रे बनाम। राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

यह विनिर्दिष्ट करेगा कि उस सीट को भरने वाला व्यक्ति अनुसूचित जातियों या ऐसी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होगा, जैसा भी मामला हो।

बनो "।

29. डी. संजीवया बनाम। चुनाव न्यायाधिकरण, आंध्र

धारा 84 और 98 (सी) के संदर्भ में धारा 150 के प्रदेश और अन्य (उपर्युक्त) प्रावधानों पर विचार किया गया। उपरोक्त मामले में, अपीलार्थी ने विधान सभा में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद एक याचिका दायर की थी।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका में भारत के चुनाव आयोग को अधिनियम की धारा 150 के तहत कार्य करने और निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव करने का आह्वान करने के लिए आदेश देने की प्रकृति में एक रिट का अनुरोध किया गया है। इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से एक व्यक्ति। 1962 की चुनाव याचिका संख्या 180 दायर की गई थी, जो चुनाव न्यायाधिकरण, हैदराबाद में लंबित थी। प्रार्थनाओं में से एक चुनाव याचिका के मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी थी। फैसले के पैराग्राफ नंबर 5 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई थीः

" 5. इसलिए वर्तमान मामले में व्याख्या करने की अनुमति नहीं है।

अधिनियम की धारा 150 अधिनियम के भाग III के संदर्भ के बिना अलग से है जो एक लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए तंत्र को निर्धारित करती है। जब चुनाव आयोग द्वारा किसी चुनाव याचिका को न्यायाधिकरण को भेजा जाता है और पूर्व को मामले से अवगत कराया जाता है, तो याचिका का कानून के अनुसार निपटारा किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण को कार्यवाही के समापन पर यह निर्णय लेना होता है कि क्या लौटे उम्मीदवार ने चुनाव में कोई भ्रष्ट आचरण किया है या नहीं और दूसरा, उसे यह तय करना होता है कि दूसरे प्रतिवादी को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए या नहीं। एक लौटा हुआ उम्मीदवार विधानमंडल में अपनी सीट से इस्तीफा देकर अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका से छुटकारा नहीं पा सकता है, चाहे उसके इस्तीफे का कारण कुछ भी हो। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी 2 द्वारा दायर चुनाव याचिका में एक समग्र राहत के लिए अनुरोध किया गया है, अर्थात्, अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी 2 को विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाना चाहिए। इस विवरण के मामले में चुनाव आयोग अपीलार्थी के इस्तीफे के कारण हुई रिक्ति को भरने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को चुनने के लिए विधानसभा क्षेत्र को तुरंत बुलाने के लिए बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग परिणाम का इंतजार कर सकता है

चुनाव याचिका और उसके बाद तय करें कि उपचुनाव होना चाहिए या नहीं। यदि चुनाव याचिका अंततः खारिज कर दी जाती है [2019] तो एस. सी. आर.

या यदि चुनाव को अलग कर दिया जाता है लेकिन आगे कोई राहत नहीं दी जाती है, तो एक उपचुनाव होगा। यदि, तथापि, प्रत्यर्थी 2 जिसने दाखिल किया चुनाव याचिका या किसी अन्य उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है

अधिनियम की धारा 150 के प्रावधान बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते क्योंकि कोई रिक्ति नहीं भरी जानी है। इसलिए, वर्तमान मामले में हमारा मानना है कि चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 150 के तहत तुरंत उपचुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन चुनाव कराने की प्रक्रिया को निलंबित कर सकता है।

दाखिल की गई चुनाव याचिका के परिणाम तक उस धारा के तहत कार्रवाई

उत्तरदाता द्वारा 2 ज्ञात है "।

30. इस न्यायालय ने उपरोक्त मामले में निर्णय दिया कि यह चुनाव आयोग के लिए चुनाव याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए खुला है और उसके बाद

तय करें कि उपचुनाव होना चाहिए या नहीं। इस अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग धारा 150 के तहत उपचुनाव कराने के लिए बाध्य नहीं है।

31. एक अन्य निर्णय, जिस पर अपीलार्थी ने भरोसा किया है, भारत के चुनाव आयोग बनाम तेलंगाना में इस न्यायालय का निर्णय है।

राष्ट्र समिति और एक और (ऊपर)। उपरोक्त मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य के दो निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव नहीं कराने के आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए प्रतिवादी द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। विधानसभा के बारह सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। आयोग ने दस रिक्तियों के लिए उपचुनाव आयोजित करने की सूचना देते हुए एक प्रेस नोट जारी किया, लेकिन दो रिक्तियों को अधिसूचित नहीं किया गया क्योंकि चुनाव याचिकाएं लंबित थीं जिनमें चुनाव याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचित घोषित करने की मांग की थी। चुनाव कराने का निर्देश देने के लिए रिट याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में आयोग को चुनाव कराने का निर्देश जारी किया। उस फैसले से व्यथित होकर भारत का चुनाव आयोग इस अदालत में आया था। रिलायंस को धारा 151 ए पर रखा गया था, जिसे संशोधन द्वारा अधिनियम में जोड़ा गया था। डी. संजीवय्या का निर्णय

मामला भेजा गया और उस पर भरोसा किया गया। इस न्यायालय ने पैराग्राफ No.46 में निम्नलिखित निर्धारित किया है:

" 46. इसलिए, हमारा दृढ़ विचार है कि संविधान में धारा 151-ए के लागू होने से जहां तक धारा 84 के प्रावधानों का संबंध है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और इसके परिणामस्वरूप 1951 के अधिनियम की धारा 98 (सी) और 101 (बी) का संबंध है, क्योंकि भले ही संविधान की धारा 150 के अर्थ के भीतर एक आकस्मिक रिक्ति हुई हो।

1951 अधिनियम, वे रिक्तियां जिनमें चुनाव याचिकाएं दायर की गई थीं और लंबित थीं, उन्हें निर्धारित समय के भीतर भरने के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

1951 के अधिनियम की धारा 151-ए। संविधान का अनुच्छेद 190 (3) (बी) एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपांट सालग्रे v.

राज्य चुनाव आयोग और ए. एन. आर. [अशोक भूषण, जे।]

केवल यह इंगित करता है कि यदि किसी विधानमंडल के सदन का कोई सदस्य

एक राज्य अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपनी सीट से इस्तीफा दे देता है और इस तरह

त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है, उनकी सीट खाली हो जाएगी। यह अधिनियम की धारा 84 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पर किसी भी तरह की मजबूरी का प्रावधान नहीं करता है। ऐसे मामलों में, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ऐसी आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उपलब्ध नहीं हैं और

आयोग को ऐसे चुनाव कराने के लिए इंतजार करना होगा।

निर्वाचन क्षेत्र जब तक सदन के कार्यकाल के दौरान 1951 के अधिनियम की धारा 84 के उत्तरार्द्ध के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया जाता है।

उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि एक मामला होना चाहिए

निर्णय लेने की तारीख को मौजूद कानूनों के अनुसार निर्णय लिया गया, जबकि सिद्धांत रूप में हितकारी, धारा 84 के प्रावधानों को देखते हुए इस मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं।

1951 एक्ट करें।

इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय एक विवेकाधिकार को मान्यता देते हैं

आयोग उपचुनाव कराएगा।

32. यह ध्यान देने योग्य है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की योजना आकस्मिक मामलों को भरने के संबंध में थोड़ी अलग है। धारा 101 के तहत ऐसे आधारों की गणना की जाए जिनके लिए लौटे उम्मीदवार की तुलना में किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है,

एन इस प्रकार हैं:

जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की है, उसने लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के अलावा दावा किया है कि घोषणा कि वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार को विधिवत किया गया है

निर्वाचित और उच्च न्यायालय की राय है

(क) कि वास्तव में याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार ने प्राप्त किया

वैध मतों का बहुमत; या

(ख) लेकिन भ्रष्ट प्रथाओं द्वारा लौटे उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों के लिए याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार

वैध मतों का बहुमत प्राप्त किया होगा,

उच्च न्यायालय, वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करने के बाद, याचिकाकर्ता या ऐसे अन्य उम्मीदवार को, जैसा भी मामला हो, विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

33. धारा 101 के अनुसार, कुछ सीमित आधार हैं जिन पर लौटे उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार को घोषित किया जा सकता है

चुने गए। डी. संजीवया (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय और भारत के चुनाव आयोग (ऊपर) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत योजना से संबंधित पढ़ा जाना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और नगर निगम में पार्षद के चुनाव के लिए वैधानिक योजना से संबंधित उपरोक्त दो मामलों में इस न्यायालय के निर्णय अलग होने के कारण, हमें अधिनियम, 1888 की वैधानिक योजना पर अपना निर्णय देना होगा।

34. अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया गया एक अन्य निर्णय प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य (ऊपर) है।

जो फिर से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 पर है और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की वैधानिक योजना तक ही सीमित रखना होगा। इस न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग के मामले में इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ No.16 में ध्यान दिया, जिसमें निम्नलिखित निर्धारित किया गया हैः

" 16. भारत निर्वाचन आयोग के मामले (2011) 1 एस. सी. सी. 370 में न्यायालय ने आगे कहा कि जहां तक धारा 84 के प्रावधानों का संबंध है, धारा 151-ए के लागू होने से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 98 (सी) और 101 (बी) का संबंध है, हालांकि अर्थ के भीतर एक आकस्मिक रिक्ति हो सकती है।

अधिनियम की धारा 150। न्यायालय ने रिक्तियों की दो श्रेणियों के बीच अंतर किया, अर्थात् रिक्तियां जिनमें

चुनाव याचिकाएं दायर की गई थीं और लंबित हैं और अन्य

अधिनियम की धारा 151-ए के तहत निर्धारित समय के भीतर केवल इसलिए कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के किसी सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था और उसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अधिनियम की धारा 84 पर जोर दिया गया था। मामलों की दूसरी श्रेणी में, न्यायालय ने फैसला सुनाया
कि रिक्तियों को स्पष्ट रिक्तियों के रूप में समझना होगा

अधिनियम की धारा 151-ए के तहत कार्रवाई की गारंटी।

35. हम पहले ही देख चुके हैं कि धारा 9 के तहत आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में धारा 34 की प्रयोज्यता केवल तभी उत्पन्न होगी जब कोई चुनाव याचिका पहले से ही लंबित हो और किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में घोषणा का दावा करने वाले उम्मीदवार द्वारा दायर की गई हो, जिसने एन. आई. टी. आई. एन. बैंडोपैंट सालाग्रे v. प्राप्त किया हो।

दूसरे सबसे अधिक वोट। जब ऐसी घोषणा के लिए कोई चुनाव याचिका लंबित नहीं है, तो धारा 9 के तहत आकस्मिक रिक्ति को बिना किसी बाधा के भरा जाना चाहिए। हम आगे यह स्पष्ट करते हैं कि जब अनुभाग

9 दूसरे भाग में प्रावधान किया गया है कि आकस्मिक रिक्ति को धारा 34 के तहत प्रदान किए गए तरीके से भरा जाना है, जिसमें उल्लिखित शर्तें हैं -

धारा 34 का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार, जब किसी पार्षद का चुनाव रद्द कर दिया जाता है या वह विफल हो जाता है, तभी धारा 34 पर विचार किया जाना चाहिए। धारा 34 को धारा 9 में निर्दिष्ट आकस्मिक रिक्तियों की सभी श्रेणियों में आकर्षित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामला एक ऐसा मामला है जहां लौटे उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र के अमान्य होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है, यानी, कानून में चुनावी स्थिति को रद्द कर दिया गया है और सीट खाली घोषित कर दी गई है, धारा 34 की प्रयोज्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है।

36. वैधानिकता के संबंध में पूर्ववर्ती चर्चाओं से

आकस्मिक रिक्ति को भरने के संबंध में अधिनियम, 1888 के तहत योजना, हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:

(i) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए केवल चुनाव याचिका के लंबित होने पर इसे स्थगित या स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य चुनाव आयोग को धारा 9 के तहत एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए आगे बढ़ने से पहले धारा 34 के तहत वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन का विज्ञापन करना होगा और उचित दिमाग से एक सचेत निर्णय लेना होगा और उसके बाद रिक्ति को भरने के लिए आगे बढ़ना होगा। में।

आकस्मिक रिक्ति के प्रत्येक मामले में, यह बताए बिना अलग-अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि राज्य चुनाव आयोग आकस्मिक रिक्ति को भरने का निर्णय नहीं ले सकता है।

(ii) वापस लौटे उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र के अमान्य होने के कारण एक आकस्मिक रिक्ति को इस तरह से भरा जाना चाहिए

अधिनियम, 1888 की धारा 34 में।

((iii) जब एक चुनाव याचिका पहले ही वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की जा चुकी है, तब से उसके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया है, जिसमें चुनाव याचिका में उम्मीदवार को दूसरा सबसे अधिक प्राप्त करने वाला घोषित करने की प्रार्थना भी की जाती है।

निर्वाचित माने जाने वाले वोट, राज्य चुनाव आयोग उपरोक्त पहलू पर विचार किए बिना नए सिरे से चुनाव का आह्वान नहीं कर सकता है मामले से।

37. वर्तमान मामलों में, रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा हलफनामा दाखिल करने के बाद, राज्य का कोई हलफनामा नहीं है राज्य चुनाव [2019] 10 एस. सी. आर. के बारे में संकेत देने के लिए निर्वाचन आयोग रिकॉर्ड पर है।

आयोजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आयोग ने धारा 34 को अपनाया है।

आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव या नहीं। हमारा विचार है कि आयोग को इन मामलों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव कराने के संबंध में एक नया निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है। 38. हालांकि आयोग ने नगर निगम की रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में दिनांक 09.05.2019 अधिसूचना जारी की है, लेकिन अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

विचाराधीन वार्डों के उपचुनाव के लिए तारीख तय करते हुए जारी किया गया, हमारा विचार है कि राज्य चुनाव आयोग उपरोक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए संबंधित वार्डों के उपचुनाव के लिए तारीखें तय करने की कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले एक नया निर्णय ले सकता है। 39. नतीजतन, अपीलों की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को पक्ष में रखा जाता है, राज्य चुनाव आयोग एक निर्णय ले सकता है

उपरोक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए वार्डों के उपचुनाव आयोजित करने के संबंध में नया निर्णय।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान